राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1770/2013/कोटा

मैसर्स डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर कोटा। ...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत्त द्वितीय कोटा।
2. उपायुक्त (प्रशासन) अजमेर। ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर केम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त द्वितीय कोटा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा आरोपित मांग राशि रू 5,03,67,048/– को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने आलोच्य अवधि में विभिन्न अपंजीकृत अधिकृत काश्तकारों से 10,94,93,582/– की अफीम क्रय की जिस पर 50 प्रतिशत से क्रय कर का दायित्व बनता है लेकिन उसने अपने रिटर्न एवं आडिट रिपोर्ट में 4 प्रतिशत से ही क्रय कर दायित्व प्रदर्शित किया है तथा 46 प्रतिशत का रिफण्ड चाहा गया हैं, इस सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किया गया जिसके जवाब में बताया गया कि राज्य सरकार की अधसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–174 दिनांक 31.03.2006 के आधार पर 4 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर का वह आई.टी.सी लेने का अधिकार रखता है। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि वेट ऐक्ट की धारा 18 के अनुसार आई.टी.सी की क्रेडिट का दावा पेश करने वाले व्यवहारी को क्रय माल के मूल वेट बिल जिनमें वेट अलग से प्रदर्शित कर रखा हो पेश करना होता है। लेकिन अपीलान्ट ने यह माल किसी पंजीकृत व्यापारी से क्रय नहीं किया बल्कि काश्तकारों से क्रय किया है जिस पर वेट एक्ट की धारा 4(2) के तहत क्रय कर जमा करवाने का दायित्व माना गया और उक्त अधिसूचना का लाभ लेने के

लगातार..............2

लिये अपीलाण्ट को अधिकृत नहीं माना गया। इसलिये रूपये 10,94,93,582/– पर 50 प्रतिशत से रूपये 5,47,46,791/– का क्रय कर आरोपित किया गया जिसमें अपीलान्ट द्वारा प्रथम एवं तृतीय तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत रूपये 230/– की शास्ति आरोपित कर कुल से रूपये 5,03,67,278/– को विवादित किया गया है जिसे इस अपील द्वारा चुनौती दी गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि अपीलान्ट ने आलोच्य अवधि में विभिन्न अधिकृत काश्तकारों से अफीम क्रय की है और उस पर 50 प्रतिशत क्रय कर चुकाया और इस अफीम को स्टॉक ट्रान्सफर करके उसकी गाजीपुर, नीमच, फैक्ट्रियों को भिजवाया गया। राज्य सरकारी की अधिसूचना क्रमांक F12(63)FD/TAX/2005-174 दिनांक 31.03.2006 के अनुसार राज्य में खरीदे गये माल के राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर कर भिजवाया जाता है जो ऐसे माल पर 4 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर का आई.टी.सी स्वीकार किया जाना चाहिये लेकिन कर निर्धारण अधीकारी ने ऐसा नहीं कर जो क्रय कर आरोपित किया है वह अनुचित है अतः 5,63,67,048/– का आई.टी.सी. स्वीकार किया जाये।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील खारिज की जावें।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विभागीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अफीम की खेती NDPS Act के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित होती है। अपीलान्ट द्वारा विभिन्न अधिकृत काश्तकारों को उनकी जमीन पर अफीम की खेती करने के लिये लाईसेन्स जारी किये जाते हैं। इन काश्तकारों द्वारा उत्पादित अफीम को अपीलान्ट द्वारा संकलित किया जाता है। लाईसेन्स में तय की गई शर्तो के आधार पर ऐसी अफीम का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा NDPS Act के तहत निर्धारित कीमत पर किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा इस तरह माल की खरीद अपंजीकृत व्यक्तियों से की जाकर माल का निष्पादन राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर कर किया गया है अतः राजस्थान वैट ऐक्ट की धारा 4(2) के तहत क्रय मूल्य पर कर चुकाने का दायित्व बनता है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा धारा 4(2) के तहत जमा कर राशि का समायोजन आई.टी.सी. के रूप में चाहा गया है, जबकि आई.टी.सी. का दावा वेट ऐक्ट की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी से क्रय किये गये माल पर अनुज्ञेय है। Input Tax को VAT Act की धारा 2(17) के तहत परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार Input tax means tax paid or

लगातार..............3

payble by a registered dealer in the course of business on the purchase of any goods made from the registered dealers. वर्तमान प्रकरण में अपीलान्ट ने किसी पंजीकृत व्यापारी से वेट इन्वाईस के माध्यम से अफीम क्रय नहीं की है इसलिये उसे अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी प्रकार का आई.टी.सी. देय नहीं होगा। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो कर जमा करवाया गया है वह धारा 2(41) के अनुसार Turnover पर कर की राशि है जो अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार खरीद किये गये माल का निष्पादन धारा 18 के प्रदत्त प्रयोजनों से भिन्न होने से उस राशि पर कर उद्ग्रहणीय है। यहां यह टिप्पणी करना उचित होगा कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा जमा राशि को **'क्रय कर'** बताया गया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि धारा 4(2) में क्रय कर न होकर यह क्रय राशि पर उद्ग्रहणीय कर है जिस पर Output Tax राज्य में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जमा राशि धारा 2(41) एवं 4(1) एवं 4(2) अनुसार उसके turnover पर आरोपित कर है जिसे Input Tax Credit बताना ही गलत है। इस तरह अपीलार्थी के पास कोई Input Tax Credit उपलब्ध नहीं होने से उसके क्लेम एवं समायोजन की मांग अनुचित एवं अविधिक है।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स (वेट) रीविजन नं. 95/2012 डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर, कोटा बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग कोटा मे निर्णय दिनांक 08.12.2016 में समान प्रकरण में यह अवधारित किया है कि वेट इन्वाईस के माध्यम से रजिस्टर्ड डीलर से सामान क्रय नहीं किये जाने के कारण इनपुट टैक्स देय नही है। इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में भी यह अपील खारिज योग्य है।

9. ब्रांच ट्रांसफर के मामले में आई.टी.सी. सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी के पास उपरोक्तानुसार Input Tax Credit के रूप में कोई राशि उपलब्ध नहीं है। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय राशि रूपये 10,94,93,582/- पर 50 प्रतिशत से अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपित कर रूपये 5,47,46,791/- विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी का उपरोक्त निष्कर्षो पर पारित निर्णय विधिसम्मत हैं जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य